



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



2 श्रावण 1946 (श०)

संख्या - 23 राँची, बुधवार

24 जुलाई, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 326- 344	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के	विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
आदेश ।	उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए,	प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और	पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड.,	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम	एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
एवं नियम आदि ।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और	न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम	इत्यादि।
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

12 अप्रैल, 2024

सं०सं०-04/नि०सं०-12-04/2015 का० 2664--श्री राजीव कुमार सिंह झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-70/20), महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य पर्यटन विकास विभाग निगम-सह-उप निदेशक, पर्यटन, झारखण्ड, राँची द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 01.02.2024 से 12.02.2024 तक (कुल 12 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 तथा 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

12 अप्रैल, 2024

सं०सं०-03/नि०सं०-08-03/2024 का०- 2665--श्रीमती जेसी विनीता केरकेट्टा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-270/20), अवर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 16.04.2021 से 31.05.2021 तक (कुल 46 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 तथा 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 मई, 2024

संख्या-3/नि०सं०-09-16/2016 का० 3603--श्रीमती सीमा कुमारी उदयपुरी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 814/03), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के निम्नांकित अवधियों को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

- | | |
|--|---|
| (i) दिनांक 18.08.2015 से 06.09.2015 तक
(कुल 20 दिन) | } उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के
नियम 227, 230 एवं 248 के तहत । |
| (ii) दिनांक 10.09.2015 से 02.02.2016 तक
(कुल 146 दिन) | |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

4 जून, 2024

सं०सं०-3/नि०सं०-09-111/2011का०-3788--श्री उमाशंकर प्रसाद, से०नि० झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-588/03) के निम्नांकित अवधियों को असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236(2) के तहत स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) दिनांक 09.10.1991 से 11.02.1992 तक (कुल 126 दिन)
- (ii) दिनांक 20.10.1995 से 07.01.1997 तक (कुल 446 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।-----
अधिसूचना

23 अप्रैल, 2024

सं०सं०-03/नि०सं०-09-25/2017 का० 2882--श्रीमती ज्योति कुमारी झा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-11/20), उप सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 21.02.2024 से 15.03.2024 (कुल 24 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 तथा 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।-----
अधिसूचना

28 मई, 2024

संख्या-1/विविध-849/2015 का०-3620--श्रीमती किरण कुमारी पासी, भा०प्र०से० (झा:2013), निदेशक, पशुपालन को निजी कारणों से अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 तहत दिनांक- 13.05.2024 से 31.05.2024 तक कुल 19 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 11.05.2024 से 12.05.2024 के साप्ताहिक अवकाश (Prefix) तथा दिनांक 01.06.2024 से 02.06.2024 के साप्ताहिक अवकाश (Suffix) की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 मई, 2024

सं०सं०-4/नि०सं०-12-55/2015 का० 3556--श्रीमती यस्मिता सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-349/20), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरायकेला का दिनांक 28.10.2023 से दिनांक 14.12.2023 तक (कुल 48 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

23 अप्रैल, 2024

सं०सं०-02/नि०सं०-12-215/2014 का० 2870--श्री नन्द कुमार राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-449/20, गृह जिला लोहरदगा) अंचल अधिकारी, बरियातु (लातेहार) द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 13.09.2021 से 28.12.2021 तक (कुल 107 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230, 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।-----
अधिसूचना

6 जून, 2024

सं०सं०-6/पेंशन-1-6/2020 का०-3840--श्री देवनीश किड़ो, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक-598/03) का दिनांक 30.03.2016 से दिनांक 06.04.2016 तक (कुल 8 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 तथा 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।**-----
अधिसूचना

5 अप्रैल, 2024

संख्या-1/विविध-843/05 (खण्ड) का०- 2510--श्री राहुल कुमार पुरवार भा.प्र.से. (झा:1999) प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को XLRI Xavier School of Management Jamshedpur से Academic Year 2023-2027 में Executive Fellow Programme in Management कोर्स के टर्म-3 प्रोग्राम में सम्मिलित होने हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक- 08.04.2024 से 27.04.2024 तक कुल 20 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक-07.04.2024 के अपराहन से मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 अप्रैल, 2024

संख्या-2/नि०सं०-12-12/2022 का०-2910--श्रीमती नीलू टुडू, झा०प्र०से० (गृह जिलामगिरिडीह), परीक्ष्यमान उप समाहर्ता, बोकारो को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-907/वि० दिनांक 01.07.2010 तथा 551/वि० दिनांक 01.03.2007 के तहत दिनांक 02.01.2024 से 27.06.2024 तक (कुल 178 दिन) मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

23 अप्रैल, 2024

सं०सं०-04/नि०सं०-12-137/2014 का०-2881--श्री धीरज कुमार ठाकुर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-160/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर संप्रति उप निर्वाचन पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 17.07.2023 से 31.08.2023 तक (कुल 46 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 तथा 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

25 जून, 2024

संख्या-4/नि०सं० 12-09/2017-25878 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री अभय कुमार, कोटि क्रमांक-567/20 (पंचम बैच, गृह जिला-गोड्डा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ -6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	ABHAY KUMAR- (110037710581)	DC OFFICE DUMKA	<u>RAMGARH</u> <u>BLOCK</u> <u>.DUMKA</u> Block Development Officer	15/06/2016	05/09/2023

श्री कुमार के सेवा संपुष्टि के पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 19673 (HRMS) दिनांक 20.03.2023 द्वारा उनके विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1714

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।-----
अधिसूचना

25 जून, 2024

संख्या-4/नि०सं० 12-67/2020-25879 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार, षष्ठम बैच (गृह जिला-गिरिडीह) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ -6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	PRADEEP KUMAR- (110010439029)	DC OFFICE BOKARO	<u>CHAS</u> <u>BLOCK</u> <u>.BOKARO</u> Block Development Officer	05/08/2020	29/07/2023

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1714

PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION23rd July, 2024.

Memo No.-10/C.B.I.-422/2024-4472--Government of Jharkhand hereby accord consent under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act XXV of 1946) to all the members of Delhi Special Police Establishment Act to exercise power and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand upon request made vide letter number 413/CO-3/2024/-CBI, ACB R dated 09.07.2024 of Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi for registration of regular case against Sh. Ram ji Kumar Pandey and others unknown public servants and private persons for committing offences u/s 120-B r/w 409, 420 & 465 of IPC and Section 13(2) r/w 13(1)(a) of PC Act, 1988 (As amended in 2018) and any other offences that may come to light during investigation of this case including any attempt, abetment and conspiracy in relation or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand,

Umashankar Prasad Pal,
Under Secretary to Government.

PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION19th July, 2024.

Memo No.-10/C.B.I.-419/2024-4407--Government of Jharkhand hereby accord consent under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) to all the members of Delhi Special Police Establishment Act to exercise power and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand, upon request made vide letter No.-364/CO-6/2023-R, dated 12.06.2024 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi for registration of a regular case against the following:-

- (i) Smt. Roomi Saha, Prop. Clear Imaging Services, W/o Shri Mayank Kumar Saha, R/o Flat No.8D, 8th Floor, Block-B, Hira Heights, Lowadih, Namkum, District- Ranchi-834010.
- (ii) Mayank Kumar Saha, S/o Kantu Lal Saha, Proprietor of M/s Icon Infra Services and guarantor of M/s Clear Imaging Services r/o 07, J.N. Tiwari Road, Dumdum Cant., Dumdum, North 24 Parganas, West Bengal-700028.
- (iii) Jatin Sahay S/o Late Rajkishor Sahay r/o BK Sahay Compound, St. Annes School Lane, Tharpakhana, Ranchi, District- Ranchi-834001 and guarantor of M/s Clear Imaging Services and one of the partner in M&J Associates having its registered office at B.K. Sahay compound, St. Annes School Lane, Tharpakhana, P.S.- Lalpur, Distt-Ranchi and Proprietor of M/s Trust Diagnostic Centre having registered office at- Ground Floor. M&J Complex, Opposite Hotel Radisson Blu, Kadru, Ranchi.
- (iv) M/s Icon Infra Services registered address Sangam Kothi, Indrapuri, Ratu Road, Ranchi, Jharkhand.
- (v) M/s Clear Imaging Services, Registered office at 8D, 8th Floor, Block-B, Hira Heights, Lowadih, Namkum, District-Ranchi-834010 (as per address mentioned in the Udyam Aadhaar Registration Certificate).
- (vi) Unknown other related/ interconnected private parties/ persons/firms etc. and
- (vii) Unknown public servants.

for committing offences u/s 120B, 409, 420, 465, 467, 468, 471 of IPC and Section 13(2) r/w 13(1) (d) of PC Act, 1988 and any other offence(s) that may come into light during investigation of case including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

Preciously Issued notification no.-4005, dated 01.07.2024 in this regard is amended till this extent.

By order of the Governor of Jharkhand,

Umashankar Prasad Pal,
Under Secretary to Government.

भाग 9-ख

निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ, इत्यादि।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BASHISHTH SINGH अन्य नाम RAMAYAN KUMAR पिता Late RAJDEV SINGH, शपथ पत्र सं० 1697, दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 के अनुसार BASHISHTH SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

BASHISHTH SINGH एवं RAMAYAN KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - MARAR,
P.O. - MARAR,
P.S. - RAMGARH,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRATIMA KUMARI अन्य नाम JITMANI KUMARI पिता RAMDAYAL ORAON, शपथ पत्र सं० 208, दिनांक 26 जून, 2024 के अनुसार PRATIMA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।

PRATIMA KUMARI एवं JITMANI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - JHAKHRA,
P.O. - BUTI,
P.S. - SENHA,
DIST. - LOHARDAGA,
PIN - 835302
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PINKI KUMARI अन्य नाम BINDI KUMARI पिता DIGAMBAR SAHU, शपथ पत्र सं० 994, दिनांक 20 मई, 2024 के अनुसार PINKI KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।

PINKI KUMARI एवं BINDI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - CHETAR,
P.O. & P.S. - GUMLA,
DIST. - GUMLA,
PIN - 835207
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AMARDEEP JAISWAL अन्य नाम AMARDEEP KUMAR पिता Late OM PRAKASH, शपथ पत्र सं० 616, दिनांक 4 जून, 2024 के अनुसार AMARDEEP JAISWAL के नाम से जाना जाऊँगा।

AMARDEEP JAISWAL एवं AMARDEEP KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - NAISARAI, NEAR (MRS RAMGARH),
P.O. - RAMGARH,
P.S. - RAMGARH,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NAINCY KUMARI SINHA अन्य नाम NAINCY KUMARI एवं NANCY KUMARI SINHA पिता SRI BHUPENDRA KUMAR SINHA, शपथ पत्र सं० 1167, दिनांक 4 अप्रैल, 2024 के अनुसार NAINCY KUMARI SINHA के नाम से जानी जाऊँगी।

NAINCY KUMARI SINHA, NAINCY KUMARI एवं NANCY KUMARI SINHA तीनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - DIPUGARHA,
P.S. - KORRAH,
DIST. - HAZARIBAGH,
PIN - 825303
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, UDAY BHAGAT अन्य नाम ARUNA BHAGAT पिता SANIYA BHAGAT, शपथ पत्र सं० 1414, दिनांक 10 जून, 2024 के अनुसार UDAY BHAGAT के नाम से जाना जाऊँगा।

UDAY BHAGAT एवं ARUNA BHAGAT दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - BAIGA KUTLU,
P.O. - RAJAWAL,
P.S. - DUMRI,
DIST. - GUMLA,
PIN - 835230
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUNITA HEMROM अन्य नाम SUNITA HEMBRAM एवं SANDHYA HEMROM पति Late ILAYAJAR HEMBRAM, शपथ पत्र सं० 654, दिनांक 31 मई, 2024 के अनुसार SUNITA HEMROM के नाम से जानी जाऊँगी।

SUNITA HEMROM, SUNITA HEMBRAM एवं SANDHYA HEMROM तीनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NEAR TB HOSPITAL,
SHANTI NAGAR,
VILL. - BALIDIH,
P.O. & P.S. - BALIDIH,
DIST. - BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NOORJAHAN KHATOON, SAMAIRA FIRDOSH (अन्य नाम SOHANEER PARWEEN) की माता, शपथ पत्र सं० 724, दिनांक 14 जून, 2024 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री SAMAIRA FIRDOSH (जन्म तिथि - 12 दिसम्बर, 2010) के नाम से जानी जायेगी।

SAMAIRA FIRDOSH एवं SOHANEER PARWEEN दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - ILAHI NAGAR DEEPATOLI,
PUNDAG, RANCHI,
PIN - 834004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SARAIN ASMITA TOBIYAS अन्य नाम ASMITA SORENG पिता TOBIYAS SORENG, शपथ पत्र सं० 136, दिनांक 24 जून, 2024 के अनुसार SARAIN ASMITA TOBIYAS के नाम से जानी जाऊँगी।

SARAIN ASMITA TOBIYAS एवं ASMITA SORENG दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - KORKOTTOLI

P.O. - KOBJA

P.S. - SURSANG,

DIST. - GUMLA,

PIN - 835232

JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SANJEEV KUMAR KARN अन्य नाम SAJEEV KUMAR KARN पिता SRI SURENDRA KUMAR KARAN, शपथ पत्र सं० 133, दिनांक 12 जून, 2024 के अनुसार SANJEEV KUMAR KARN के नाम से जाना जाऊँगा।

SANJEEV KUMAR KARN एवं SAJEEV KUMAR KARN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - NEW NAGAR, BANDH GARI, DIPATOLI,

P.O. - R.M.C.H.,

P.S. - BARIATU,

DIST. - RANCHI,

JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NIKHIL CHANDRA MAHATO, SURJO MAHATO (अन्य नाम HIRAN MAHATO) का पिता, शपथ पत्र सं० 18, दिनांक 4 अप्रैल, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र SURJO MAHATO (जन्म तिथि - 4 दिसम्बर, 2012) के नाम से जाना जायेगा।

SURJO MAHATO एवं HIRAN MAHATO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - HURUMBIL,
P.O. - KAMALPUR,
DIST. - EAST SINGHBHUM,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAVI SHANKAR SINGH, RITWIK RAJ SINGH (अन्य नाम NAMAN PUSHUP) का पिता, शपथ पत्र सं० 70, दिनांक 27 अप्रैल, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र RITWIK RAJ SINGH (जन्म तिथि - 28 जनवरी, 2009) के नाम से जाना जायेगा।

RITWIK RAJ SINGH एवं NAMAN PUSHUP दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - 100 SUNAINA SADAN, VIKASH NAGAR,
ROAD NO. - 1, SINGH MORE, HATIA,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MUKESH KUMAR SINGH, RAGHAV SINGH (अन्य नाम HIMANISH PARMAR) का पिता, शपथ पत्र सं० 325, दिनांक 11 मई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र RAGHAV SINGH (जन्म तिथि - 11 सितम्बर, 2012) के नाम से जाना जायेगा।

RAGHAV SINGH एवं HIMANISH PARMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - RAJA RANI KOTHI, DORANDA,
P.O. & P.S. - DORANDA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, HEMANTI RANI अन्य नाम HEMANTI DEVI पति TRIVENI NATH MAHTO, शपथ पत्र सं० 1674, दिनांक 10 जुलाई, 2024 के अनुसार HEMANTI RANI के नाम से जानी जाऊँगी।

HEMANTI RANI एवं HEMANTI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - TUNKU,
P.O. - DOWARU,
P.S. - SILLI,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DEIPAK SAMPAT अन्य नाम DEEPAK SAMPAT एवं DEEPAK PRASAD GUPTA पिता SAMPAT SAH, शपथ पत्र सं० 66, दिनांक 5 जून, 2024 के अनुसार DEIPAK SAMPAT के नाम से जाना जाऊँगा।

DEIPAK SAMPAT, DEEPAK SAMPAT एवं DEEPAK PRASAD GUPTA तीनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - C/2,
SUDHALEKHA APARTMENT,
J.C. MALLICK ROAD,
NEAR DURGA MANDAP,
HIRAPUR, DHANBAD,
P.O. & P.S. - DHANBAD,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 826001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BANTI THAKUR, MANYA KUMARI (अन्य नाम SRISHTY KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 297, दिनांक 19 मार्च, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री MANYA KUMARI (जन्म तिथि - 29 अगस्त, 2009) के नाम से जानी जायेगी।

MANYA KUMARI एवं SRISHTY KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - BHITTHA KANKE ROAD,
RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND